कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

Phone no./Fax no. 01370-260070 E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 896 /33 सी दिनांक 20 / 7 /2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती, ऋषिकेश।

विषय – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत ढुण्ड़सीर शिवालय सम्पर्क मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 0.566 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन (ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/43073/2019)

सन्दर्भ – आपका पत्रांक 1229 / 12–1 दिनांक 24.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के प0सं0 1127 / दस–3–20 / 1(128) 2020 दि0 12.10.2020 द्वारा विषयवर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् है :–

<u>बिन्दु सं0 1–</u> शर्त सं0 01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर पथ वृक्षारोपण की धनराशि रू0 11,60,000.00 ऑन लाइन कॅम्पा मद में जमा कर दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न है) जियो रिफरेन्स मैप एवं डिजिटल मैप की चार प्रति संलग्न है। (संलग्नानुसार)

<u>बिन्दु सं0 2–</u> शर्त सं0 02(क) के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 4,78,270.00 ऑन लाइन कॅम्पा मद में जमा कर दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)

<u>बिन्दु सं0 3–</u> शर्त सं0 03 के अनुपालन में यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई धनराशि जमा की जायेगी।(प्रमाण पत्र संलग्न है)

<u>बिन्दु सं0 4–</u> शर्त सं0 04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि ई–पोर्टल पर ही जमा की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)

<u>बिन्दु सं0 5–</u> शर्त सं0 05 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।(प्रमाण पत्र संलग्न है)

<u>बिन्दु सं0 6–</u> शर्त सं0 06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख संलग्न किये गये हैं। (अभिलेख संलग्न)

<u>बिन्दु सं0 7–</u> शर्त सं0 07 के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।(प्रमाण पत्र संलग्न)

<u>बिन्दु सं0 8–</u> ––तदैव–– शर्त सं0 07 के अनुसार।

<u>बिन्दु सं0 9–</u> शर्त सं0 09 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ई–पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।(प्रमाण पत्र संलग्न)

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मार्ग पर विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को लिखने की कृपा करें।

संलग्न :– उक्तानुसार।

(इं0 डी0 पी0 आर्य)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

पत्रांक 896 / 33 सी दिनांक 20 / 7 /2021

- प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (द्वितीय) अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0–कीर्तिनगर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित अनुपालन आख्या को ई–पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर